UPJS010047922021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- ३, झांसी

उपस्थितः विकास नागर (एच०जे०एस०) JO Code No. - UP6210

सत्र परीक्षण सं०- ७२८/ २०२१

सरकार बनाम हरिश्चन्द्र यादव आदि

धारा- १४७, १४८, ३०७, ४४७, ५०४, ५०६ भा०द०सं०

थाना- सीपरी बाजार, झांसी।

मु० अ० सं०- २०१/ २०१७

दिनाँक- ३१. ०३. २०२३

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र यादव व अनिल यादव मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त राजेन्द्र यादव के संबंध में हाजिरी माफी आवेदन जरिये अधिवक्ता स्वीकृत। पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है।

इस स्तर पर आज अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व में धारा- २२७ द०प्र०सं० के अधीन प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र ८ए के निस्तारण पर बल दिया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व अभिलेख पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

उन्मोचन प्रार्थना पत्र ८ए अभियुक्तगण अनिल यादव व राजेन्द्र यादव की ओर से इस कथन व तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मामले में प्रार्थी/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- १४७, १४८, ३०७, ४४७, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के तहत मामला थाना सीपरी बाजार में पंजीकृत हुआ एवं विवेचक ने इन्हीं धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जो अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र, अनिल व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध है, शेष दो के संबंध में न तो विवेचना प्रचलित है और न ही उनका कोई वजूद सामने आया है, इसलिए धारा- १४७, १४८ भा०द०सं० का अपराध गठित नहीं होता है। मामले में धारा- ३०७ भा०द०सं० के संबंध में प्रार्थीगण अनिल व राजेन्द्र द्वारा न तो फायर करना बताया गया है और न ही फायर करने के लिए कहना या उकसाने का कोई आरोप है। धारा- १४७ भा०द०सं० या धारा- ३४ भा०द०सं० के अपराध हेतु सामान्य आशय या उद्देश्य का होना आवश्यक है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा- १६१ दं०प्र०सं० में ऐसा कोई कथन नहीं है और न ही प्रार्थी/ अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य घटना में दर्शाया गया है, जिससे अभियुक्त हरिश्चन्द्र के कृत्य में अन्य अभियुक्तगण का सहयोग होना स्पष्ट होता हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा- १६१ दं०प्र०सं० से अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव ने अपने साथी अनिल व राजेन्द्र तथा दो अज्ञात के साथ मिलकर कथित घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त से प्रार्थीगण की कथित घटना स्थल पर उपस्थिति साबित नहीं होती है। धारा- ३४ भा०द०सं० के लिए कृत्य की साक्ष्य होना आवश्यक है, जबकि वर्तमान मामले में प्रार्थीगण की उपस्थिति संबंधी साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं है कि कथित घटना में जो फायर करना एवं मिस होना बताया गया है, उसमें फायर हुआ था या नहीं। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उक्त आधार पर आवेदक/ अभियुक्तगण को अभियोग में उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र ८ए पर घोर आपत्ति करते हुए यह तर्क दिया गया कि आवेदक/ अभियुक्तगण ने गलत तथ्यों के आधार पर उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। मामले में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर आवेदक/ अभियुक्तगण के विरूद्ध समुचित साक्ष्य व कथित अपराध में संलिप्त होना पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया है, ऐसी स्थिति में आवेदक/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- १४७, १४८, ३०७, ४४७, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के तहत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। उक्त आधार पर आवेदक/ अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र ८ए को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक- ०५. ०५. २०१७ को वादी मुकदमा अनिल कुमार मिश्रा द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर इस आशय की प्राथमिकी थाना- सीपरी बाजार में पंजीकृत कराई गई है कि दिनांक- ०५. ०५. २०१७ को समय करीब १२- १ बजे के बीच वह अपने व दिनेश खुराना के पार्टनरशिप के जमीन की साइट, जो की भानीदेवी गोयल स्कूल के पीछे, उन्नाव बालाजी रोड स्थित है, जमीन का वह निरीक्षण करने गया था। वहाँ पर पहले से बैठे हरिश्चन्द्र यादव, जो कि उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर पूर्व में कई लोगों को रजिस्ट्री कर चुका है, ने अपने ४- ५ साथियों के साथ उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। हरिश्चन्द्र यादव ने तमंचे से उस पर फायर किया, सौभाग्य रहा कि वह मिस हो गया और उसे गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और वहाँ से भाग गया। तहरीर में यह भी स्पष्ट उल्लिखित है कि महोदय आपके संज्ञान में यह मामला पहले भी विचार में किया जा चुका है, परन्तु आज हरिश्चन्द्र यादव अपने साथी अनिल यादव, राजेन्द्र यादव व दो अज्ञात लोगों के साथ मिल कर इस घटना को अंजाम दिया। अतः उक्त घटना की लिखित सूचना प्रेषित कर रहा हूं। इन लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अभिलेख पर उपलब्ध तहरीर लिखित वादी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचना उपरान्त प्रेषित आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना- सीपरी बाजार झाँसी में मु०अ०सं०- २०१/ २०१७ धारा- १४७, १४८, ३०७, ४४७, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के अधीन मामला अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र यादव, अनिल यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध नामजद एवं दो अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ है, जिसमें विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र यादव, अनिल यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा- १४७, १४८, ३०७, ४४७, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गई है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा अनिल कुमार मिश्रा का बयान अन्तर्गत धारा- १६१ द०प्र०सं० दिनांक- ०५. ०५. २०१७ को केस डायरी के पर्चा सं०- १ में अंकित किया गया है, जिसमें वादी मुकदमा ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट कथन किया है कि- *"आज हरिश्चन्द्र यादव ने अपने साथी अनिल यादव, राजेन्द्र यादव व दो अज्ञात लोगों के मिलकर मेरे साथ घटना को अंजाम दिया है।"* केस डायरी के इसी पर्चे में गवाह विकास पुत्र मोहन लाल के भी बयान अंकित किये गये है, जिसके द्वारा भी घटना का समर्थन करते हुए स्पष्ट कथन किया गया है कि- *"साहब मैं अनिल कुमार मिश्रा का ड्राईवर हूं, आज दिनांक- ०५. ०५. २०१७ को मैं इनके साथ ही उन्नाव बालाजी रोड की जमीन पर था कि समय करीब १२- १ बजे के बीच हरिश्चन्द्र यादव ने मय अपने साथी अनिल यादव व राजेन्द्र यादव व दो अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अनिल मिश्रा पर प्राणघातक हमला कर दिया। हरिश्चन्द्र यादव ने तमंचे से अनिल मिश्रा पर फायर किया, जो सौभाग्य से मिस हो गया. . . . . वहाँ से भाग गये।"* विवेचक ने इसी पर्चे में समई साक्षी के रूप में गवाह रविशंकर शर्मा पुत्र प्रेमशंकर एवं राघवेन्द्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद के बयान भी अंकित किये हैं। गवाह रविशंकर शर्मा ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि- *"साहब मैं उस समय घर पर नहीं था, लेकिन शाम को मैंने सुना था कि आज यहाँ अनिल कुमार मिश्रा पर हरिश्चचन्द्र यादव ने फायर किया था व उसके साथियों ने भी गाली- गलौज व लडाई- झगडा किया था।"* इसी प्रकार गवाह राघवेन्द्र ने भी अपने बयान धारा- १६१ दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि वादी मुकदमा के साथ प्रश्नगत घटना अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव ने अपने साथी/ आवेदक अभियुक्तगण राजेन्द्र यादव व अनिल यादव के साथ मिलकर कारित की है तथा वादी मुकदमा द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र यादव, अनिल यादव व राजेन्द्र यादव सहित दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है एवं विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र यादव, अनिल यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा- १४७, १४८, ३०७, ४४७, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत अभियोग पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया है।

जहाँ तक उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रपत्र सं०- ८ए में वर्णित अन्य तथ्यों का प्रश्न है, तो इस सन्दर्भ में दौरान विचारण उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के उपरान्त ही कोई निष्कर्ष दिया जा सकता है, इस स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया अभियोग का गठित होना देखा जाना है।

विधि व्यवस्था- **स्टेट आफ देहली बनाम ज्ञानदीन २००१(४२) ए०सी०सी० ३९ एस०सी०** तथा **स्टेट आफ मध्य प्रदेश बनाम एस०बी० जान्स जे०टी०२००१(१) एस०सी०१६९** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि आरोप विरचित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में निष्कर्ष नही देना है, मात्र यह देखा जाना है कि क्या वास्तव में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है अथवा नही।

लियाकत बनाम स्टेट आफ यू०पी० २००८(६२) ए०सी०सी० ४५३ इलाहाबाद, सचिन सक्सेना उर्फ लक्की बनाम स्टेट आफ यू०पी० ए०सी०सी० १०३९ इलाहाबाद तथा **राजवीन सिंह बनाम स्टेट आफ यू०पी० २००६(५५) ए०सी०सी० ३१८ एस०सी०** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आरोप संदेह के आधार पर भी बनाया जा सकता है।

योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (२००८) १ एस०सी० सी० ३९४ में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि आरोप विरचन के समय विचारण समाप्त नही होता है और इस स्तर पर अभियुक्त की दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति नही देखा जाना है।

उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रस्तुत मामले में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य व अभिलेखों आदि को विचार में लिया जाये तो प्रथम दृष्टया प्रकरण में अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र यादव, अनिल यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा- १४८, ३०७ सपठित धारा- ३४, ४४७ सपठित धारा- ३४, ५०४,५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु प्रथम दृष्टया अपराध गठित होता है।

तदनुसार प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन ८ए निरस्त कर आवेदक/ अभियुक्तगण अनिल यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव के साथ ही धारा- १४८, ३०७ सपठित धारा- ३४, ४४७ सपठित धारा- ३४, ५०४, ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रश्नगत मामले में आवेदक/ अभियुक्तगण अनिल यादव एवं राजेन्द्र यादव की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र ८ए **निरस्त** किया जाता है। आरोप विरचना हेतु पत्रावली **दिनांक- ०४. ०४. २०२३** को पेश हो। नियत तिथि पर अभियुक्तगण आरोप विरचन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

(विकास नागर)

दिनांक- ३१. ०३. २०२३

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- ३,

झाँसी